चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ

प्रेस विज्ञप्ति

प्रवेश समिति की शुक्रवार दिनांक 17.09.2010 को पूर्वाह्न 10.00 बजे समिति कक्ष, प्रशासनिक भवन, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर, मेरठ में सम्पन्न हुयी आपात बैठक की कार्यवाही।

उपस्थितः–

1. प्रो0 एन0के0 तनेजा, कुलपति **(अध्यक्ष)**
2. डॉ0 (श्रीमती) रीता बख्शी प्राचार्या
3. डॉ0 आर0सी0 लाल, प्राचार्य
4. श्री राम कुमार कुलसचिव **(सचिव)**

विशेष आमन्त्रितः–

1. डॉ0 बी0एन0 शुक्ला, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ।
2. डॉ0 वी0के0 गौतम, प्राचार्य, एन0ए0एस0 कॉलिज, मेरठ।
3. डॉ0 टी0डी0 शर्मा, प्राचार्य, डी0एन0 कॉलिज, मेरठ।
4. डॉ0 एन0पी0 सिंह, प्राचार्य, मेरठ कॉलिज, मेरठ।
5. डॉ0 सुखवीर सिंह, प्राचार्य, एस0डी0 कॉलिज, गाजियाबाद।
6. डॉ0 यशवीर सिंह तोमर, प्राचार्य, जे0वी0 कॉलिज, बड़ौत।

विश्वविद्यालय अधिकारीगणः–

1. श्री नारायण प्रसाद, उप कुलसचिव (मान्यता)
2. श्री महेश कुमार, सहायक कुलसचिव (परीक्षा)
3. श्री एस0सी0 पिपलानी, प्रभारी (जनसूचना)

मद संख्या– 1 (i) स्नातक कक्षाओं सत्र 2010–11 हेतु (B.A., B.Com, B.Sc.) प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु सीटों की वृद्धि (20 प्रतिशत) के सम्बन्ध में श्री विमल किशोर गुप्ता, विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग– 2, उत्तर–प्रदेश शासन, लखनऊ से प्राप्त पत्र संख्या–1800/सत्तर–2–2010–2(166)/2003 दिनांक 16.08.2010 के अनुपालन में स्वीकृत सीटों के सापेक्ष सम्बद्ध महाविद्यालयों में 20 प्रतिशत सीट वृद्धि पर विचार करना। उक्त पत्र की एक प्रति सभा–पटल पर प्रस्तुत की जायेगी।

संकल्प– सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि पूर्व में प्रवेश समिति का निर्णय जिसमें 60 प्रतिशत यू0पी0 बोर्ड अंकों वाले छात्रों के प्रवेश सुनिश्चित कराये जाने हेतु प्राचार्यों को दिये

क्रमशः पृष्ठ............2/–

गये निर्देशों को समाप्त करते हुए निर्णय लिया गया कि सत्र 2010–11 में 4 अगस्त एवं 12 अगस्त तक समस्त महाविद्यालयों में किये गये प्रवेशों को स्वीकृत सीटें मानते हुए शासनादेश के अनुपालन में 20 प्रतिशत सीटों की वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया गया।

इसी क्रम में यह भी निर्णय लिया गया कि प्रवेश पूर्व में आनलाइन पंजीकरण छात्रों की संख्या तथा योग्यता क्रम में से ही किये जायेगें। बिना आनलाइन पंजीकरण मान्य नहीं होगा। प्रवेश की अन्तिम तिथि 23.09.2010 होगी।

(ii) ऐसे छात्रों जिनका पंजीकरण के आधार पर नाम मैरिट में आ गया था परन्तु किसी कारणवश समय से प्रवेश नहीं ले पायें है तथा ऐसे छात्रों ने सम्बन्धित प्राचार्य को मूल कारण का शपथ–पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रवेश लेने का अनुरोध किया गया है, के प्रकरण पर विचार।

संकल्प– समिति द्वारा विचारोपरान्त सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि ऐसे छात्रों के प्रवेश भी मान्य होगें। परन्तु ऐसे प्रवेशों की गणना 20 प्रतिशत सीटों की वृद्धि के सापेक्ष ही की जायेगी।

(iii) ऐसे छात्रों जो राज्य/केन्द्रीय कर्मचारियों के स्थानान्तरण स्वरूप उनके आश्रित जो कि विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों में बिना पंजीकरण के प्रवेश लेना चाहते हैं, पर विचार।

संकल्प– समिति द्वारा सर्वसम्मति से विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि ऐसे छात्रों के प्रवेश जो विश्वविद्यालय से स्वीकृत किये जायेगें उनके प्रवेश महाविद्यालय अपने स्तर से करेगें तथा ऐसे छात्रों की सूची विश्वविद्यालय को प्रेषित की जायेगी एवं ऐसे प्रवेशों को विश्वविद्यालय स्तर से सम्बन्धित महाविद्यालयों की सूची में अपलोड करा दिया जायेगा।

(iv) ऐसे स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों/संस्थानों जिनकों शासन द्वारा सत्र 2010–11 हेतु नवीन सम्बद्धता प्राप्त हुयी है में प्रवेश के इच्छुक छात्रों के प्रवेश पर विचार।

संकल्प– समिति द्वारा सर्वसम्मति से विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि ऐसे संस्थान भी 23.09.2010 तक किसी भी महाविद्यालय एवं किसी भी संकाय में आनलाइन पंजीकृत

क्रमशः पृष्ठ............3/–

छात्रों में से ही प्रवेश ले सकते हैं। बिना आनलाइन पंजीकरण प्रवेश मान्य नहीं होगा।

(v) ऐसे स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों / संस्थानों में रिक्त सीटों पर प्रवेश पर विचार।

संकल्प— समिति द्वारा सर्वसम्मति से विचारोपरान्त निर्णय लिया गया कि ऐसे संस्थान भी 23.09.2010 तक किसी भी महाविद्यालय एवं किसी भी संकाय में आनलाइन पंजीकृत छात्रों में से ही प्रवेश ले सकते हैं। बिना आनलाइन पंजीकरण प्रवेश मान्य नहीं होगा।

इसी क्रम यह भी निर्णय लिया गया कि समस्त प्रवेशों की सूची सम्बन्धित महाविद्यालयों / संस्थानों द्वारा विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर दिनांक 30.09.2010 तक अपलोड करना अनिवार्य होगा।

(एस0 पी0 पिपलानी)
प्रभारी जनसूचना